रख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद/आवेदन संख्या 1440/15 बनाम दईदानसिंह / तह० बाड़मेर	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर बाड़मेर आगोर पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 05-6-18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर बाड़मेर आगोर पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाड़मेर	
05.06.2018 दईदानसिंह पक्षकार गणपतसिंह (गणपतसिंह) सेवानिवृत्त ILR	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाड़मेर आगोर पर पेश हुई। प्रार्थी दईदानसिंह एव अप्रार्थी गुलाबसिंह, हाथीसिंह, दातारसिंह, प्रकाशसिंह व डूंगरसिंह उपस्थित, जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर एवं श्री गणपतसिंह सेवानिवृत भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दी गई। प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम बाड़मेर आगोर, मातासर एवं दक्षिणी मातासर (भुरटिया) में आई हुई है। ग्राम मातासर एव दक्षिणी मातासर में प्रार्थी का नाम खातेदारी में दईदानसिंह अंकित है परन्तु बाड़मेर आगोर के खसरा नम्बर 1790 रकबा 74.19 बीघा भूमि में प्रार्थी के पिता आसकरणसिंह की फौतगी पर पारित नामान्तकरण मे प्रार्थी का नाम आईदानसिंह अंकित किया गया है, जो लिपिकीय भूल है। जिसे संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया है। उपस्थित अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार ग्राम बाड़मेर आगोर मे स्थित उक्त कथित खातेदारी भूमि में प्रार्थी का सही नाम दईदानसिह अंकित किये जाने में सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार बाड़मेर से प्रार्थी के आवेदन की सत्यता के बारे में जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाड़मेर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 15.01.2018 से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जिसमें प्रार्थी का सही नाम दईदानसिंह	गुलाबसिंह (LTI हाथीसिंह) दातारसिंह (LTI प्रकाशसिंह) डूंगरसिंह (LTI दातारसिंह) पहचानकर्ता [signature] सरपंच ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 1370/2015 अनवान रवाराम बनाम गोरखनराम
	राजस्व अभिलेख मे अंकित किये जाने की अनुशंसा प्रकट की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम दईदानसिंह है एवं ग्राम मातासर की जमाबन्दी चौसाला 2069 से 2072 के खाता संख्या 08 की प्रविष्टी के अनुसार प्रार्थी का नाम दईदानसिंह अंकित होना प्रमाणित है। अतः तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदनानुसार ग्राम बाडमेर आगोर के खेत खसरा नम्बर 1790 रकबा 74.19 बीघा भूमि में खातेदार आईदानसिंह पुत्र आसकरणसिंह के स्थान पर दईदानसिंह पुत्र आसकरणसिंह संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर

Scanned by CamScanner